प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
उ0प्र0, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्र संख्या- 214/SPMU/EMTS/108 M&E/2016-17/ 6901-75 दिनांक 4.11.2016

विषयः "108" समाजवादी स्वास्थ्य सेवा एवं '102' नेशनल एम्बुलेंस सेवा के मासिक निरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

जैसा कि अवगत हैं कि प्रदेश के समस्त जनपदों में 102 नेशनल एम्बुलेंस सेवा एवं 108 समाजवादी स्वास्थ्य सेवा के अन्तर्गत एम्बुलेंस वाहनों का संचालन किया जा रहा है। एम्बुलेंस वाहनों के सुचारु संचालन हेतु एम्बुलेंस वाहनों के भौतिक सत्यापन के लिए समय–समय पर शासन, मिशन निदेशालय एवं महानिदेशालयों द्वारा निर्देश निर्गत किये गये हैं। भारत सरकार द्वारा स्वीकृत वर्ष 2016–17 की आर.ओ.पी. में भी एम्बुलेंस सेवाओं के संचालन हेतु निम्न प्राविधान का उल्लेख किया गया है–

- All equipment in functional state, including drugs and emergency tray
- Monthly certification on operational status of ambulance

संज्ञान में आया है कि जनपदों द्वारा एम्बुलेंस वाहनों के भौतिक सत्यापन कार्य में रुचि नहीं ली जा रही है जिसके कारण सेवाओं की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। एम्बुलेंस सेवाएं महत्वपूर्ण एवं जनोपयोगी आकस्मिक सेवाएं हैं। उक्त के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि प्रत्येक माह में कम से कम एक बार समस्त एम्बुलेंस वाहनों का भौतिक सत्यापन कराना सुनिश्चित करें। सत्यापन निम्न व्यवस्था के अनुसार किया जाय।

एम्बुलेंस वाहनों का आवंटन ब्लाक एवं जिला स्तरीय चिकित्सालयों के स्तर पर किया गया है। भौतिक सत्यापन हेतु ब्लाक स्तरीय एम.ओ.आई.सी./अधीक्षक तथा जिला स्तरीय चिकित्सालयों के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक को उनके अन्तर्गत क्रियाशील एम्बुलेंस वाहनों के नोडल अधिकारी के रुप में नामित किया जाय। उक्त नोडल अधिकारियों से प्राप्त सत्यापन आख्या के आधार पर जनपद की संकलित आख्या तैयार कर अगले माह की 7 तारीख तक महानिदेशालयों (102 की संकलित आख्या महानिदेशालय परिवार कल्याण एवं 108 की संकलित आख्या महानिदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं) को पत्र एवं ई–मेल के माध्यम से उपलब्ध करा दी जाये।

साथ ही यह सुनिश्चित किया जाये कि यदि किसी नोडल अधिकारी के स्तर से किसी माह की सत्यापन आख्या जनपद को नहीं उपलब्ध करायी गयी है तो सम्बन्धित नोडल अधिकारी का अगले माह का वेतन आहरित नहीं किया जाय। यदि नियंत्रक अधिकारी/आहरण वितरण अधिकारी द्वारा किसी ऐसे नोडल अधिकारी का वेतन आहरण किया जाता है जिसके द्वारा विगत माह की सत्यापन आख्या नहीं उपलब्ध करायी गयी है तो इसे वित्तीय अनियमितता माना जायेगा तथा इसके लिए सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी/आहरण वितरण अधिकारी पूर्ण रुप से उत्तरदायी माने जायेंगे।

कृपया आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

भवदीय

3/4

(आलोक कुमार)
मिशन निदेशक

पत्र संख्या–214/SPMU/EMTS/108 M&E/2016-17/ 6901-75 (5) तद्दिनांक

प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन।
2. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. महानिदेशक, परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. समस्त मण्डलायुक्त/समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0।

3/4

(आलोक कुमार)
मिशन निदेशक